बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ0सं0–भवन / 10–आरोप(आरा 14 / 15–B)–01–06 / 2024..... / पटना, दिनांक–

:: आदेश ::

श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त तकनीकी सलाहकार, दक्षिण बिहार अंचल, पटना के विरूद्ध समाहरणालय भवन, आरा के निर्माण कार्य में मापी–पुस्त की जाँच नहीं करने एवं मापी से ₹1,47,49,779 / –का अधिक भुगतान संवेदक को करने के आरोप के संदर्भ में आरोप प्रपत्र–''क'' गठित किया गया।

2. श्री मंडल के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र–''क'' के आलोक में विभागीय पत्रांक–3806(भ0)अनु0 दिनांक–03.05.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. श्री मंडल द्वारा उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–15.05.2017 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया। तकनीकी समिति से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–7875 (भ0) दिनांक–27.09.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के प्रावधानों के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–72(अनु0) दिनांक–09.01.2024 एवं पत्रांक–386 दिनांक–13.02.2024 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री मंडल के विरूद्ध अन्तर्विष्ट आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–2197(भ0) दिनांक–07.03.2024 द्वारा श्री मंडल से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–12.04.2024 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में उल्लेख किया गया कि एक ही मामले में आपराधिक कार्रवाई के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही का संचालन नियमानुकूल नहीं है। उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही पर ही प्रश्न चिन्ह् लगाया गया है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2324 दिनांक–10.07.2007 में स्पष्ट उल्लेख है कि समान आरोप पर आपराधिक कार्रवाई के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही चलाई जा सकती है। अतः श्री मंडल का यह कथन मान्य नहीं है। उन्होंने अपने बचाव अभिकथन में प्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में कोई तर्क या साक्ष्य नहीं दिया गया। फलतः विभागीय समीक्षोपरान्त श्री मंडल द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव अभिकथन को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत तीन (03) वर्षो के लिए पेंशन से बीस (20) प्रतिशत की कटौती के दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक–5690(भ0) दिनांक–26.07.2024 द्वारा उक्त अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति / परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–3465 दिनांक–10.12.2024 द्वारा उक्त अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

5. श्री मंडल से बिहार पेंशन निमयावली, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत पेंशन से तीन (03) वर्षो के लिए मासिक पेंशन राशि में बीस (20) प्रतिशत की कटौती संबंधी अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–10630(भ0) दिनांक–23.12.2024 द्वारा दण्ड की मात्रा (Quantum of Punishment) पर बचाव अभिकथन की माँग की गयी। श्री मंडल द्वारा उनके पत्रांक–शून्य दिनांक –07.01.2025 द्वारा दण्ड की मात्रा पर बचाव अभिकथन समर्पित किया गया एवं उनके द्वारा बचाव अभिकभन एवं विभागीय समीक्षा निम्नवत है :–

A. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2324 दिनांक–10.07.2007 उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आपराधिक कार्रवाई एवं विभागीय कार्रवाई साथ–साथ चलायी जा सकती है। परन्तु यह भी दिशा–निर्देश है कि विभागीय कार्रवाई में प्राथमिकी एक परिस्थितिजनक साक्ष्य हो सकता है एवं आरोपित पदाधिकारी के Misconduct एवं Misbehaviour जो कि बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली के सुसंगत धाराओं के क्रम में होगा उक्त आधार पर आरोप पत्र गठन किया जाना हैं, ना कि प्राथमिकी का आधार बनना है।

कृ0पृ0उ0

समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मंडल के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में वित्तीय अनियमितता एवं कर्त्तव्य में चूक का आरोप लगाया गया है जिसे संचालन प्रतिवेदन में प्रमाणित पाया गया है। प्रमाणित वित्तीय अनियमितता एवं कर्त्तव्य में चूक के सन्दर्भ में श्री मंडल द्वारा कोई तथ्य अथवा साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतः श्री मंडल का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

B. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के 43 (बी) के तहत पेंशन काटने की शक्ति सरकार को है परन्तु उक्त कटौती हेतु विभागीय कार्यवाही नियमानुसार विधिसंगत किया जाना आवश्यक है। परन्तु मेरे मामले में विभागीय कार्यवाही में सी0सी0ए0 रूल्स–17 का अनुपालन नहीं किया गया है।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने में विहित सभी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है। जाँच पदाधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित कर विधिवत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसके समीक्षोपरान्त दण्ड प्रस्ताव सरकार के स्तर से अनुमोदित है। दण्ड प्रस्ताव में बी0पी0एस0सी0 द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। अतः श्री मंडल का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है।

C. मेरे उपर दर्ज प्राथमिकी अभी अनुसंधानरत है, तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के किसी भी धारा का उल्लंघन वर्त्तमान में कहा जाना विधिसंगत नहीं है।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही वित्तीय अनियमितता एवं कर्त्तव्य में चूक के सन्दर्भ में चलायी गयी है न कि आपराधिक कृत्य के सन्दर्भ में। अतः श्री मंडल का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार उपर्युक्त समीक्षा के क्रम में श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में उनके दण्ड की मात्रा (Quantum of Punishment) पर बचाव अभिकथन को सक्षम प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किया गया।

6. अतः बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अधिसूचना संख्या–1972(भ0) दिनांक–03.03.2025 द्वारा **"पेंशन से तीन वर्षो के लिए मासिक पेंशन राशि में बीस प्रतिशत की कटौती का दण्ड"** अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

7. उक्त दण्डादेश के आलोक में श्री मंडल ने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–08.03.2025 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया। श्री मंडल द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया है कि श्री मंडल द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में दण्ड की मात्रा के संदर्भ में समर्पित बचाव अभिकथन में अंकित तथ्यों को ही दुहराया गया है, जिसे उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूर्व में अस्वीकृत किया जा चुका है। श्री मंडल द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन में प्रमाणित आरोपों के संबंध में उक्त के अतिरिक्त कोई नया तथ्य अंकित नही किया गया है अथवा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों को नकारा जा सके।

8. अतः सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(आशुतोष द्विवेदी)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–भवन / 10–आरोप(आरा 14 / 15–B)–01–06 / 2024............... / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10–आरोप(आरा 14 / 15–B)–01–06 / 2024........... / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना / प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग / संयुक्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा / प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10–आरोप(आरा 14 / 15–B)–01–06 / 2024........... / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्री उमेश कुमार मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति सेवानिवृत्त वर्त्तमान पता–88बी–206, विद्या कुंज अपार्टमेन्ट, मेंहदी उत्सव पैलेस के नजदिक, आनन्दपुरी, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, पटना–01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10–आरोप(आरा 14 / 15–B)–01–06 / 2024............ / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन / 10–आरोप(आरा 14 / 15–B)–01–06 / 2024...6415(भ)... / पटना, दिनांक– 10/7/25

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/7/25

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।